16/5/19 अभि० उपाध्यक्ष उप० ने जवाब हेतु समय चाहा है वास्ते जवाब दि० 28/5/19 को पेश हो अंतिम अवसर दिया जाता है।

28/5/19 पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. समय चाहा है..... पधारे है। सो पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 19/7/19 को पेश हो।

19/7/19 अभि० उपाध्यक्ष उप० ने जवाब हेतु समय चाहा। न्याय हित में एक अवसर दिया जाता है वास्ते जवाब दि० 6/9/19 को पेश हो

6/9/19 अभि० उपाध्यक्ष उप० ने जवाब पेश किया नकल दिलाई। शामिल रहे। वास्ते बहस दिनांक 4/10/19 को पेश हो

4/10/19 अभि० उपाध्यक्ष उप० ने बहस हेतु समय चाहा है वास्ते बहस दि० 17/10/19 को पेश हो

17/10/19 अभि० उपाध्यक्ष उप० ने बहस सुनी। मूल प्रा० पत्र खारिज हो जाने से अब उक्त प्रार्थना पत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है तथा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि० 21/6/2016 को भी अपास्त किया जाता है उपपंजीयक (तहसीलदार) को तहरीर जारी हो। पत्रावली के बल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। हुक्म खुले न्यायालय में सुनाया गया। संलग्न मूल प्रा०पत्र रहे।

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)